प्रवेश का टाईम फ्रेम:–

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत नि:शुल्क सीट्सपर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा–निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	30 अप्रैल 2022 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	02 मई 2022 से 15 मई 2022 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	17 मई 2022	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	18 मई 2022 से 25 मई 2022 तक	अभिभावको द्वारा
6	आवेदन पत्रो की जांच करना (प्रथम चरण)	18 मई 2022 से 27 मई 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	विद्यालय द्वारा आवेदन को **Correction / reject** किये जाने की शिकायत सीबीईओ/जिशिअ कार्यालय में करना।	18 मई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक	अभिभावकों द्वारा
8	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन शुरू किया जाना।	27 मई 2022 से अन्तिम दिनांक तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
9	आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	18 मई 2022 से 31 मई 2022 तक	अभिभावको द्वारा
10	आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	01 जून 2022 से 04 जून 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
11	पूर्व में रिपोर्टिंग से वंचित बालकों द्वारा रिपोर्टिंग किया जाना/पूर्व में रिपोर्टिंग कर चुके परन्तु प्रवेश से वंचित बालकों द्वारा शेष 04 विद्यालयों में से किसी एक में रिपोर्टिंग किया जाना।	01 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक	अभिभावकों द्वारा
12	आवेदन पत्रो की जांच करना (द्वितीय चरण)	01 जून 2022 से 14 जुलाई 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय
13	आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	01 जून 2022 से 16 जुलाई 2022 तक	अभिभावको द्वारा
14	आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच करना	01 जून 2022 से 18 जुलाई 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
15	आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वत: ही आवंटन की अंतिम दिनांक	20 जुलाई, 2022 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा